

स्थानीय बैंक अधिकारी (एलबीओ) की भर्ती 2025-26
विज्ञापन संख्या: HO/HRM/RECR/2024-25/COM-75

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण एवं शुल्क का भुगतान: 16-01-2025 से 05-02-2025 तक

यूको बैंक स्थानीय बैंक अधिकारी (एलबीओ) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

- आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि तक पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- अभ्यर्थियों को विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> - >career चेक करने की सलाह दी जाती है।
- सभी संशोधन/ शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) केवल बैंक की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कोई हार्ड कॉपी इस कार्यालय को नहीं भेजी जाए।

निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> >कैरियर - >भर्ती के अवसर पर उपलब्ध चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क का भुगतान, परीक्षा / साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया और पैटर्न के बारे में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने के बाद पंजीकरण लिंक के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

1) रिक्तियों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य	अनिवार्य स्थानीय भाषा प्रवीणता	रिक्तियां	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	अना.	जिसमें से			
									वीआई	एचआई	ओसी	आईडी और अन्य
1	गुजरात	गुजराती	57	08	04	15	05	25	01	01	00	00
2	महाराष्ट्र	मराठी	70	10	05	18	07	30	01	01	00	00
3	असम	असमिया	30	04	02	08	03	13	01	00	00	00
4	कर्नाटक	कन्नड़	35	05	02	09	03	16	01	00	00	00
5	त्रिपुरा	बंगाली/ कोकबोरोक	13	01	00	03	01	08	00	00	00	00
6	सिक्किम	नेपाली/अंग्रेजी	06	00	00	01	00	05	00	00	00	00
7	नागालैंड	अंग्रेजी	05	00	00	01	00	04	00	00	00	00
8	मेघालय	अंग्रेजी/ गारो / खासी	04	00	00	01	00	03	00	00	00	00
9	केरल	मलयालम	15	02	01	04	01	07	00	00	00	00
10	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	तेलुगू	10	01	00	02	01	06	00	00	00	00
11	जम्मू और कश्मीर	कश्मीरी	05	00	00	01	00	04	00	00	00	00
	कुल		250	31	14	63	21	121	04	02	00	00

संक्षेपण का अर्थ: एससी - अनुसूचित जाति; एसटी - अनुसूचित जनजाति; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर - अनारक्षित, पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति; वीआई - दृष्टि बाधित; एचआई - श्रवण बाधित; ओसी - आर्थोपेडिक रूप से चुनौतीपूर्ण / गतिशील विकलांगता, आईडी - बौद्धिक विकलांगता

** ऊपर बताई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हो सकता है। बैंक सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित रिक्तियों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अभ्यर्थियों को केवल एक राज्य की रिक्तियों के लिए ही आवेदन करना होगा। एक राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी किसी अन्य राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को ऊपर दी गई रिक्तियों की तालिका के अनुसार राज्य की निर्दिष्ट स्थानीय भाषा में प्रवीणता (पढ़ने, लिखने और बोलने में) होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई गई श्रेणी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन परिणाम जारी किया जाएगा। केवल ऑनलाइन परीक्षा और/या उसके बाद के साक्षात्कार और/बाद की प्रक्रियाओं में आवेदन करने/उपस्थित होने और शॉर्टलिस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी को बैंक में नौकरी मिल जाएगी। जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत अभ्यर्थिता के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2) वेतनमान एवं परिलब्धियां:

वेतनमान / स्केल	मूल वेतनमान
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -I	48480- 2000/7- 62480- 2340/2- 67160- 2680/7- 85920

- डीए, एचआरए / लीज आवास , सीसीए, चिकित्सा लाभ, अन्य भत्ते और सुविधाएं बैंक में प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगी। इस संबंध में बैंक और उद्योग स्तर के समझौतों के नियमों में समय-समय पर बदलाव लागू होंगे।
- किसी भी सेवा वरिष्ठता के लिए पूर्व अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- चयनित अभ्यर्थी को एसएमजीएस-IV में पदोन्नति या 12 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो, तक उस राज्य में पदस्थापित किया जाएगा, जिसकी रिक्ति के विरुद्ध उनका चयन किया गया है।
- सामान्य अधिकारियों के लिए बैंक की मौजूदा पदोन्नति नीति के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले एलबीओ को पदोन्नति में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

3) पात्रता मापदंड:

क. राष्ट्रीयता/नागरिकता

अभ्यर्थी या तो

- भारत का नागरिक हो या
- नेपाल का नागरिक हो या
- भूटान का नागरिक हो या
- तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो या
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास कर आया हो।

बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) एवं (v) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति हो जिसके पक्ष में पात्रता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

ख. 01-01-2025 को आयु:

न्यूनतम: 20 वर्ष, अधिकतम: 30 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी 02.01.1995 से पहले और 01.01.2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए (दोनों तिथियां सम्मिलित)

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्रमांक	वर्ग	आयु में छूट
i.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	5 वर्ष
ii.	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) {ओबीसी-एनसीएल}	3 वर्ष
iii.	“दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
iv.	भूतपूर्व सैनिक, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ईसीओ)/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (एसएससीओ) सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की हो और जिन्हें कार्यभार पूरा होने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो (जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यभार आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होना है) सैन्य सेवा या अशक्तता के कारण कदाचार या कार्यक्षमता की कमी या शारीरिक अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा, सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा के अधीन।	5 वर्ष
v.	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	5 वर्ष

टिप्पणी:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर दी जाएगी, शेष श्रेणियों में से केवल एक के लिए, जिसके लिए आयु में छूट दी गई है, जैसा कि ऊपर बिन्दु iii से v में उल्लेख किया गया है।

- II. सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा लागू है।
- III. आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय तथा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- IV. ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखे गए क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए। अभ्यर्थी के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- V. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद की नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। हालांकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, भूतपूर्व सैनिक को जैसे ही कोई सिविल रोजगार में शामिल होता है, उसे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में स्व-घोषणा/अंडरटेकिंग देनी चाहिए, जिसके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।
- VI. आरक्षण श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी, जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों हेतु आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए लागू मानदंडों को पूरा करते हों।

ग. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण समग्र रिक्तियों के भीतर होरीजंटल है। "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया गया है, यह पद आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित और समय-समय पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित विकलांगता की निम्न श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।

1) दृष्टिबाधित ("VI" श्रेणी):

केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं:

क. अंधापन :

- i. पूर्ण दृष्टि की अनुपस्थिति; अथवा बेहतर संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (सेलन) से कम ; या
- iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाना। या

ख. कम दृष्टि :

- i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं या 20/60 से कम नहीं, 3/60 तक या 10/200 (सेलन) तक , बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या
- ii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण।

2) श्रवण बाधित ("एचआई" श्रेणी) :

क. बधिर: इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि हो।

ख. सुनने में कठिनाई: इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति को दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता में कमी होना।

3) अस्थि विकलांग/ गति विकलांगता ("ओसी" / "एलडी") श्रेणी:

किसी व्यक्ति की खुद की और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की बीमारी के परिणामस्वरूप होती है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से उबरे, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) शामिल है, जिसमें कोई भी संबंधित न्यूरोलॉजिकल / अंग विकार नहीं है। अस्थि विकलांग व्यक्ति लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत आते हैं:

क. " कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति " का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है:

- i. हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में भी संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई विकृति प्रकट नहीं होती;
- ii. प्रकट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होती है जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;
- iii. अत्यधिक शारीरिक विकृति तथा अधिक आयु, जो उसे कोई लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती हो, तथा "कुष्ठ रोग ठीक हो गया" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

ख. " सेरेब्रल पाल्सी " से तात्पर्य शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के समूह से है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

ग. " **बौनापन** " का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

घ. " **मांसपेशी डिस्ट्रॉफी** " का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को हिलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और लुप्त जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में कमी और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;

ड. " **एसिड अटैक पीड़ित** " का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

च. स्पाइनल विकृति (एसडी) और स्पाइनल चोट (एसआई) वाले व्यक्तियों को संबंधित उप श्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के तहत कवर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

4) **बौद्धिक विकलांगता ("आईडी" श्रेणी):**

केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

क. **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी)** एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी व्यवहारों से जुड़ी होती है।

ख. "**विशिष्ट अधिगम विकलांगता**" (एसएलडी) का अर्थ स्थितियों के एक विषम समूह से है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्टोक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्पैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

ग. "**मानसिक बीमारी**" (एमआई) का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता की विशेषता है।

5) "**बहुभागी विकलांगताएं**"

उपरोक्त खंड "I"; "II"; "III"; "IV" में से एकाधिक विकलांगताओं का अर्थ है

नोट : केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। " **बेंचमार्क विकलांगता** " का अर्थ है निर्दिष्ट विकलांगता का 40% से कम नहीं होना, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जहां विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन / पुनः सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी बिंदु पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित अनुसार और सीटों के अनुसार होगा। ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

(i) **बेंचमार्क विकलांगता/निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्क्राइब का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश:**

कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 16-110/2003-DDIII दिनांक 26 फरवरी, 2013 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के पत्र एफ.सं. 3/2/2013- कल्याण दिनांक 26.04.2013 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण और भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 29-6/2019-DD-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को अपने खर्च पर स्वयं लिखनेवाले (स्क्राइब) की व्यवस्था करनी होगी।
- ओएम-एफ. संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के समय एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी, जिसमें संबंधित व्यक्ति के लिखने की सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है, जो परिशिष्ट I के रूप में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त हो। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय अपना प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। साथ ही, स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय परिशिष्ट II के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक संस्थान से हो सकता है। अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को यह पुष्टि करते हुए एक उपयुक्त वचन देना होगा कि स्क्राइब ऊपर बताए गए स्क्राइब के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, अगर बाद में यह पता चलता है कि उसने कोई निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, भले ही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो।

- ऑनलाइन आवेदन के समय या परीक्षा के समय या किसी भी स्तर पर प्रस्तुत घोषणा पत्र में अभ्यर्थी/लेखक के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी और लेखक को स्थायी रूप से या एक निश्चित अवधि के लिए परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा।
- जो अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करेंगे, वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट या अन्यथा निर्देश दिए गए प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे।
- समय के महत्व को देखते हुए, तथा चूंकि परीक्षा एक प्रतियोगी प्रकृति की है, अभ्यर्थी को बैंक के चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना होगा कि उसे लिखने के लिए एक स्क्राइब की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास लिखने के लिए शारीरिक सीमाएं हैं, जिसमें विकलांगता के कारण गति की कमी भी शामिल है, जैसा कि बेंचमार्क विकलांगता/निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा लेखक की सेवाओं के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।
- **जो अभ्यर्थी परीक्षा में स्क्राइब की सेवाएं लेने के लिए पात्र हैं और चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में हमेशा सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद किए गए किसी भी अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।** अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित स्क्राइब इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होगा। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपर्युक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा में स्क्राइब की सेवाएं लेने के लिए पात्र हैं और चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में हमेशा सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद किए गए किसी भी अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।
- इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एक स्क्राइब केवल एक अभ्यर्थी के लिए कार्य कर सकता है। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों (ऑनलाइन पंजीकरण के समय) को ही ऐसी रियायतें दी जाएंगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, अगर अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी।
- परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षक प्रशासक कर्मियों द्वारा यह रिपोर्ट की जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।
- अभ्यर्थी/ स्क्राइब का ऑनलाइन आधार सत्यापन भी कर सकता है।

(ii) दृष्टिबाधित (VI) अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम विकलांगता से ग्रस्त नहीं हैं) परीक्षण की विषय-वस्तु को बड़े अक्षरों में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय या परीक्षा के लिए अन्यथा सूचित समय के लिए पात्र होंगे।
- परीक्षण की विषय-वस्तु को आवर्धक फ्रॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगी, जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेते हैं।

(iii) गतिशील विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

गति-संबंधी विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय या अन्यथा निर्देश दिया जाएगा, जहां प्रमुख (लेखन) अंग कार्यनिष्पादन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है (न्यूनतम 40% हानि)।

(iv) बौद्धिक विकलांगता (आईडी) वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

40% से अधिक बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी) वाले अभ्यर्थियों को, चाहे वे स्क्राइब की सेवाएं लें या नहीं, परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

(v) 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

जो व्यक्ति लेखक (स्क्राइब) पाने के लिए पात्र हैं, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे कम से कम 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति , लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति):

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) के कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या .29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10/08/2022 के अनुसार, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों (जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है) पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आने वाले विकलांग व्यक्तियों को दी जाएगी, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं (अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है), लिखने में कठिनाई होने वालों को, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और उक्त ओएम के परिशिष्ट- I में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है अपना स्वयं का लेखक लाने के लिए, लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। स्वयं का लेखक चुनने वाले अभ्यर्थी को उक्त ओएम के परिशिष्ट-II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के लेखक का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

टिप्पणी:

- (i) ये दिशानिर्देश भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।
(ii) यदि अभ्यर्थी के अंक/प्रदर्शन की वास्तविकता/वैधता के बारे में संदेह हो तो बैंक पुनः परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घ. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित किया जाएगा। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या उन्हें परिवार की आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित किए जाने से बाहर रखा जाएगा:

- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

- ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।
- ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।
- इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।
- इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण : ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

ड. 01-01-2025 तक शैक्षिक योग्यता :

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (स्नातक) या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता। अभ्यर्थी के पास वैध मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र होना चाहिए और पद के लिए पंजीकरण करते समय स्नातक में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाना चाहिए।

- उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और अंतिम परिणाम 01-01-2025 को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए।
- साक्षात्कार के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय से 01-01-2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अंक-पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र पर दिखाई देने वाली तिथि होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और वेब आधारित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी और हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र, जिसमें उत्तीर्ण होने की तिथि का उल्लेख किया गया हो, को सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए माना जाएगा।
- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक/स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव तक दर्शाना चाहिए। जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए दिया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए। यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया जाएगा कि ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के संबंध में विश्वविद्यालय के मानदंड और मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत।
- प्रतिशत की गणना: प्रतिशत अंक, अभ्यर्थी द्वारा सभी सेमेस्टर/वर्ष में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को कुल अधिकतम अंकों (सभी विषयों में, चाहे वह ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय हो, यदि कोई हो) से विभाजित करके 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां कक्षा/ग्रेड केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर तय किया जाता है।

इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को अनदेखा कर दिया जाएगा अर्थात् 59.99% को 60% से कम माना जाएगा और 54.99% को 55% से कम माना जाएगा। यदि ग्रेड पॉइंट सिस्टम (CGPA/OGPA) अपनाया जाता है, तो अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अपने CGPA/OGPA को प्रतिशत में बदलना होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए प्रतिशत में रूपांतरण के मानदंडों का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4) आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (गैर-वापसीयोग्य):

आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार [16-01-2025 से 05-02-2025 तक देय (केवल ऑनलाइन भुगतान, दोनों तिथियां सम्मिलित) निम्नानुसार होंगे: -

पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 175 रुपए (जीएसटी सहित) ।
अन्य के लिए 850 रुपए (जीएसटी सहित)।

आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क/सूचना शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

5) परीक्षा की संरचना:

क्रमांक	विषयों	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा का माध्यम	प्रत्येक परीक्षण के लिए आवंटित समय (अलग-अलग समयबद्ध)
1.	तार्किक और कंप्यूटर योग्यता	45	60	अंग्रेजी और हिंदी	60 मिनट
2.	सामान्य/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग जागरूकता	40	40	अंग्रेजी और हिंदी	35 मिनट
3.	अंग्रेजी भाषा	35	40	अंग्रेज़ी	40 मिनट
4.	डेटा विश्लेषण और व्याख्या	35	60	अंग्रेजी और हिंदी	45 मिनट
	कुल	155	200		3 घंटे

कोई खंडवार अर्हक अंक नहीं होंगे। कुल मिलाकर न्यूनतम अर्हक अंक हैं और न्यूनतम अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किया जाएगा।

परीक्षा की संरचना में किसी भी बदलाव की सूचना बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> पर दी जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

- (1) परीक्षा की संबंधित तिथि और सत्र के लिए वैध कॉल लेटर।
- (2) फोटो पहचान प्रमाण (जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है) मूल रूप में, जिसमें कॉल लेटर/आवेदन पत्र पर दिए गए नाम के समान नाम हो।
- (3) परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद यानी देरी से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के शुरू होने के समय से पहले है।
- (4) यद्यपि ऑनलाइन परीक्षा की अवधि 3 घंटे है, लेकिन अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉग इन, निर्देश देने आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग 4 घंटे या उससे अधिक समय तक परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है।

• गलत उत्तर के लिए दंड:

प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसका अभ्यर्थी ने गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक चौथाई या 0.25 अंक दंड के रूप में काट लिए जाएंगे ताकि सही अंक प्राप्त किए जा सकें। यदि कोई प्रश्न रिक्त छोड़ दिया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है; तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

• कट-ऑफ स्कोर

अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे तत्पश्चात् उसे साक्षात्कार के लिए चुने जाने पर विचार किया जाएगा। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, कट-ऑफ तय की जाएगी और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने से पहले, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सामान्य साक्षात्कार/अंतिम आवंटन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को शॉर्टलिस्ट करने और बुलाने में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या से तीन गुना और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या से पांच गुना होगी।

• अंक

अलग-अलग सत्रों (यदि आयोजित किया गया हो) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सही अंकों को समान-प्रतिशत पद्धति का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा। गणना के उद्देश्य से दो दशमलव अंक तक के स्कोर लिए जाएंगे।

6) परीक्षा केन्द्र :

परीक्षा भारत में कई केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची अनुलग्नक-1 में संलग्न है:

- (I) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (II) तथापि बैंक अपने विवेकानुसार, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (III) बैंक के पास अभ्यर्थी द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर नियुक्ति देने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- (IV) अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम एवं व्यय पर परीक्षा देनी होगी तथा बैंक किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (V) किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार / दुर्व्यवहार करने पर इस परीक्षा से तथा बैंक द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से भी अभ्यर्थिता अयोग्य घोषित/रद्द की जा सकती है।

7) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सीमित संख्या में अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सभी पात्र अभ्यर्थी जो परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प चुनते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम भरना चाहिए। प्रतिक्रिया और प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, किसी भी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण को रद्द करने और/या वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। केवल परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने से कोई भी अभ्यर्थी चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।

8) पहचान सत्यापन:

आईरिस स्कैन/बायोमेट्रिक डेटा - कैप्चरिंग और सत्यापन बैंक, विभिन्न चरणों में, अभ्यर्थियों की वास्तविकता के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान या आईरिस कैप्चर कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न चरणों में सही अंगूठे का निशान या आईरिस कैप्चर किया गया है और किसी भी विसंगति के कारण अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इसलिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों पर मेहंदी, स्याही, रसायन आदि जैसी कोई बाहरी चीज न लगाएं या कॉन्टैक्ट लेंस न पहनें।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: परीक्षा हॉल में, कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी (जिस पर कॉल लेटर पर दिए गए नाम के समान नाम हो) जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस /मतदाता कार्ड/फोटो सहित बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी/जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र के साथ फोटो/ मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/फोटो सहित आधार /ई- आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी, सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर पर दिए गए विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जाएगी। यदि आवेदक की पहचान संदिग्ध है, तो उसे चयन प्रक्रिया में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

9) भाषा प्रवीणता परीक्षा:

किसी विशेष राज्य के एलबीओ के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस अधिसूचना में उल्लिखित उस राज्य की निर्दिष्ट स्थानीय भाषाओं में से किसी एक में कुशल (पढ़ना, लिखना, बोलना) होना चाहिए। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चुने गए अभ्यर्थियों को स्थानीय प्रवीणता प्रतियोगिता में शामिल होना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस प्रकार उनकी अभ्यर्थिता को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए नहीं माना जाएगा।

जो अभ्यर्थी स्थानीय भाषा का अध्ययन करने का प्रमाण देते हुए 10वीं या 12वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, उन्हें भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

10) व्यक्तिगत साक्षात्कार:

व्यक्तिगत साक्षात्कार का स्थान और तिथि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को नियत समय पर तय की जाएगी और सूचित की जाएगी। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, न्यूनतम योग्यता अंक 40 होंगे जबकि एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 35 होंगे।

ऑनलाइन टेस्ट और साक्षात्कार के लिए वेटेज (अनुपात) क्रमशः 80:20 होगा। अभ्यर्थियों का संयुक्त अंतिम स्कोर ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निकाला जाएगा।

अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए और चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए मेरिट में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर होना चाहिए। चयन राज्यवार और श्रेणीवार तैयार की गई मेरिट सूची में शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों में से किया जाएगा। अंतिम चयन निर्दिष्ट स्थानीय भाषा की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन होगा, जहाँ लागू हो, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11) साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो) :

अभ्यर्थी की योग्यता और पहचान के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में और उनकी स्वयं-सत्यापित फोटोकॉपी साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

- (I) वैध साक्षात्कार कॉल लेटर का प्रिंटआउट।
- (II) भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।
- (III) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या एसएसएलसी/कक्षा दस प्रमाण पत्र, जन्म तिथि सहित)।
- (IV) इस अधिसूचना के बिन्दु 8 में दर्शाए अनुसार फोटो पहचान प्रमाण।
- (V) शैक्षिक योग्यता के लिए अंकतालिका या प्रमाण पत्र। 01-01-2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड / विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- (VI) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और/या यदि उनकी जाति केंद्रीय सूची में नहीं आती है, तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए।
- (VII) ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वे क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों को 01.04.2024 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया 'गैर-क्रीमी लेयर' खंड वाला ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- (VIII) ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मौजूदा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार की तिथि को या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त तिथि से परे 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे बैंक में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (IX) बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय किसी स्काइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो निर्धारित प्रारूप में स्काइब का विधिवत भरा हुआ विवरण।
- (X) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में प्रमाण पत्र, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति, इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है।
- (XI) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय सेवा या सेवामुक्ति पुस्तिका की प्रति, पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम/वर्तमान पद (मूल और कार्यकारी) का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे 05-02-2026 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त हो जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर तत्काल अयोग्यता हो जाएगी। इस श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्यता से बचने के लिए जल्द से जल्द इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
- (XII) सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से मूल रूप से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई हो, अन्यथा स्वीकार्य है, का भुगतान नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय सशर्त एनओसी प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी/आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (XIII) 3 बी (वी) के तहत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के संचार संख्या एफ. सं. 9/21/2006-आईआर दिनांक 27.07.2007 द्वारा संसूचित 1984 दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के संदर्भ में राहत के लिए पात्र हैं।
- (XIV) अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
- (XV) श्रेणी 3. (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (XVI) पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

टिप्पणी: -

1. उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. साक्षात्कार के समय प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
3. साक्षात्कार से पहले या बाद में अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी दस्तावेज सीधे बैंक को नहीं भेजा जाएगा।
4. शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं, जैसे सभी दस्तावेजों की सत्यता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाएगी।

5. वास्तविक और उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना पूरी तरह से अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी, ज्वाइनिंग के बाद कोई भी गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी ऊपर बिंदु 3 में बताए अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

12) परिवीक्षा और सेवा बांड:

चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की तिथि से 2 (दो) वर्ष की सक्रिय सेवा के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदर्शन और आचरण से संतुष्ट होने पर ही पुष्टि की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम मानक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उस समय लागू बैंक की नीति के अनुसार उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

चयनित अभ्यर्थी को बैंक में दो वर्ष की अवधि तक सेवा करने के लिए बांड भरना होगा अथवा यदि अधिकारी दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले बैंक छोड़ता है तो उसे 2.00 लाख रुपए का भुगतान करना होगा।

13) बैंक के सेवारत कर्मचारियों से आवेदन

- पात्रता मानदंड को पूरा करने के अधीन, यूको बैंक के मौजूदा कर्मचारी बैंक द्वारा अधिसूचित पदों के लिए नए अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन कर सकते हैं। यदि चयनित होते हैं, तो ऐसे आवेदक बैंक में अपने वर्तमान पदों से इस्तीफा दे देंगे और नए अभ्यर्थी के रूप में नए पद पर शामिल होंगे।
- वह नए पद पर अपने पिछले पद से जुड़े किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
- पूर्ववर्ती पद पर प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

14) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है (जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है):

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए: (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/ सबडिविजनल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)/ तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो (iv) उस क्षेत्र का सब-डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो और (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए: प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले में उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ / नेत्र रोग विशेषज्ञ / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति शामिल होगा।

एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15) आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं: अनुलग्नक II देखें

(1) अभ्यर्थियों को बैंक की अधिकृत वेबसाइट <https://ucobank.com> पर जाना होगा और कैरियर पेज पर क्लिक करना होगा और आगे " भर्ती के अवसर " पर जाना होगा और फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए " स्थानीय बैंक अधिकारी (एलबीओ) 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें " विकल्प पर क्लिक करना होगा।

(2) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी मूल जानकारी दर्ज करके अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए "नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड तैयार किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। वे अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण संपादित कर सकते हैं।

(3) अभ्यर्थियों को अपने - फोटो - हस्ताक्षर - बाएं अंगूठे का निशान - एक हस्तलिखित घोषणा - खंड 11 (x) (यदि लागू हो) में उल्लिखित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है - अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वेबकैम या मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी लाइव तस्वीर कैप्चर करने और अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी। दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के

अनुसार (अनुलग्नक II)। कृपया ध्यान दें कि जब तक फोटो और हस्ताक्षर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं होते हैं, तब तक सिस्टम अभ्यर्थी को आवेदन के अगले चरण में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।

(4) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन स्वयं सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव/स्वीकार्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें। पूर्ण पंजीकरण बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने/भरवाने के लिए जिम्मेदार हैं।

सूचनाएं, जहां भी आवश्यक हों, केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और/या एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी। यदि मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य मामले में सूचना/सूचना अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचती है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम अपडेट के लिए बैंक की अधिकृत वेबसाइट <https://ucobank.com> पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी जाती है।

भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान

(i) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के अंत में "पूर्ण पंजीकरण" बटन पर क्लिक करना चाहिए। "पूर्ण पंजीकरण" बटन दबाने से पहले, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में भरे गए प्रत्येक क्षेत्र को सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थी या उसके पिता / पति आदि का नाम आवेदन पत्र में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र / मार्कशीट में दिखाई देता है। कोई भी परिवर्तन / फेरबदल अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर सकता है। यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र भरने में असमर्थ है, तो वह पहले से दर्ज डेटा को सहेज सकता है। जब डेटा सहेजा जाता है, तो सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड तैयार किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए। आवेदन में उल्लिखित मोबाइल/ईमेल पर अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। वे अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण संपादित कर सकते हैं। एक बार आवेदन पूरी तरह से भरे जाने के बाद, अभ्यर्थी को डेटा जमा करना चाहिए।

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

(iii) भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे / वीजा / मास्टरकार्ड / मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, केश कार्ड / मोबाइल वॉलेट / यूपीआई का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है।

(iv) अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद, आवेदन पत्र का एक अतिरिक्त पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी निर्देशों का पालन कर सकते हैं और अपेक्षित विवरण भर सकते हैं।

(v) यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ पुनः लॉगिन करें और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करें।

(vi) लेनदेन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ई-रसीद तैयार की जाएगी।

(vii) अभ्यर्थियों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है जिसमें शुल्क भुगतान विवरण शामिल है। कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जेनरेट नहीं किया जा सका है तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हो सकता है।

टिप्पणी:

- ऑनलाइन आवेदन में अपनी भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।
- क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी कीमतें भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।
- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जिसमें फीस/सूचना शुल्क का भुगतान शामिल है, अभ्यर्थी को सिस्टम द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सही हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ इसे सुरक्षित रखना चाहिए। उन्हें यह प्रिंटआउट बैंक को नहीं भेजना चाहिए।
- कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, परीक्षा केंद्र, आदि को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के बारे में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत और अधूरे विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- आवेदन के सफल पंजीकरण पर निर्गत पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ई-मेल/एसएमएस सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा निर्गत पावती के रूप में भेजी जाएगी। यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ई-मेल और एसएमएस सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो वे मान सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक

पंजीकृत नहीं हुआ है। एक ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी तरह से अधूरा है जैसे कि उचित पासपोर्ट आकार की फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हाथ से लिखा घोषणा और प्रमाणपत्र जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया गया है (यदि लागू हो)/ असफल शुल्क/सूचना शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

- आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर अधिक लोड या वेबसाइट जाम होने के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में अक्षमता/असफलता/असमर्थता की संभावना से बचा जा सके। बैंक आवेदकों द्वारा उपरोक्त कारणों से या यूको बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा न कर पाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- कृपया ध्यान दें कि आवेदन करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया ही एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण बाद में गलत पाए जाते हैं तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

16) कॉल लेटर

ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के लिए केंद्र, स्थल का पता, तिथि और समय संबंधित कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी को अपना कॉल लेटर बैंक की अधिकृत वेबसाइट <https://ucobank.com> से अपना विवरण अर्थात् पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके डाउनलोड करना चाहिए। कॉल लेटर/सूचना पुस्तिका आदि की कोई हार्ड कॉपी डाक/कूरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

17) सामान्य जानकारी:

1. उक्त पद के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूर्ण करते हैं तथा इस विज्ञापन में निहित आवश्यकताओं और नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु तैयार हैं। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आवेदन पत्र को पूरा भरें और इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार इसे जमा करें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य ले लें।
3. बैंक पात्रता मानदंड और/या इस नोटिस में उल्लिखित किसी भी अन्य नियम व शर्तों को परिवर्तन, संशोधित करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें चयन के लिए अर्हता मानदंड/पद्धति और प्रक्रिया शामिल है।
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देश प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आईडी चालू रखें।
5. अभ्यर्थी की पात्रता, पात्रता की जांच के चरण, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, चयन प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करना और नियुक्ति से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. पद को भरना पूर्णतः अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के आधार पर बैंक के विवेक पर निर्भर है तथा यदि पद अभ्यर्थियों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या के कारण नहीं भरा जाता है तो नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।
7. संपर्क नम्बर/पता/ई-मेल आईडी/परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. एक अभ्यर्थी को एक से अधिक आवेदन नहीं करना चाहिए। एक से अधिक आवेदनों के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। परीक्षा/साक्षात्कार में एक से अधिक बार उपस्थित होने पर अभ्यर्थिता अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
9. यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी उसी फोटोग्राफ की लगभग 8 प्रतियां अपने पास रखें, जो उन्होंने आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड की थी, क्योंकि चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।
10. साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण के समय, अभ्यर्थी को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हो) के बारे में विवरण प्रदान करना होगा। बैंक स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड आदि का सत्यापन शामिल है। बैंक ऐसे खुलासों और/या स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. यदि अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य संस्करण की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
12. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा।
13. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के अधीन है। ऐसी नियुक्ति बैंक के नियमों और नीतियों के अधीन भी होगी।
14. सरकारी/ अर्धसरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय नियोक्ता से कार्यमुक्ति पत्र तथा जहां भी लागू हो, संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. इस विज्ञापन के अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित और/या उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कोलकाता स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
16. बैंक किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

18) घोषणाएँ:

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आगे की घोषणाएं/विवरण केवल समय-समय पर बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> पर प्रकाशित/प्रदान किए जाएंगे।

19) अस्वीकरण:

यदि नियुक्ति के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। **बैंक इस नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार सुरक्षित रखता है और अंतिम होगा।**

यदि कोई मुद्रण त्रुटि हो तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान : कोलकाता
तारीख: 16-01-2025

महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

अनुबंध- I

परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संभावित परीक्षा केंद्र	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संभावित परीक्षा केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर , विजयवाड़ा /गुंटूर, विशाखापत्तनम,	17	मणिपुर	इंफाल
2	असम	डिब्रूगढ़ , गुवाहाटी, जोरहाट , सिलचर , तेजपुर	18	मेघालय	शिलांग
3	बिहार	पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर , पूर्णिया , गया	19	मिजोरम	आइजोल
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	20	नगालैंड	कोहिमा
5	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद	21	ओडिशा	भुवनेश्वर , कटक , बेरहामपुर- गंजाम
6	गोवा	पणजी	22	पुदुचेरी	पुदुचेरी
7	गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर, आनंद, भावनगर, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा	23	पंजाब	अमृतसर, पटियाला
8	हरियाणा	फरीदाबाद, अंबाला, हिसार	24	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला, बिलासपुर, बड़ी	25	सिक्किम	गंगटोक
10	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, बारामूला , सांबा, बडगाम , पुलवामा	26	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली , तिरुनेलवेली
11	झारखंड	रांची, जमशेदपुर	27	तेलंगाना	हैदराबाद/ सिकंदराबाद , वारंगल, करीमनगर , खम्मम , महबूबनगर , निज़ामाबाद , नरसंपेट
12	कर्नाटक	बेंगलुरु, मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), कालाबुरगी (गुलबर्गा), शिवमोग्गा (शिमोग्गा), बेलगावी (बेलगाम), हुबली-धारवाड़ , दावणगेरे	28	त्रिपुरा	अगरतला
13	केरल	एर्नाकुलम , कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, अलाप्पुझा, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टायम , मलप्पुरम , पलक्कड़	29	उत्तर प्रदेश	लखनऊ , मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी
14	मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, जबलपुर	30	उत्तराखंड	देहरादून, हलद्वानी , रूड़की
15	महाराष्ट्र	अकोला, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), कोल्हापुर, मुंबई/ठाणे/ नवी मुंबई/एमएमआर, नागपुर, नांदेड़ , पुणे, सोलापुर , नासिक, जलगांव , अमरावती, सांगली , अहमदनगर	31	पश्चिम बंगाल	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी , आसनसोल , वर्धमान , हुगली, कल्याणी ,
16	चंडीगढ़	मोहाली	32	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन

अनुबंध- II

दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की हुई (डिजिटल) छवि प्रस्तुत करनी होगी।

- फोटोग्राफ्स
- हस्ताक्षर
- बाएं अंगूठे का निशान
- हस्तलिखित घोषणा और
- खंड 11(x) में उल्लिखित प्रमाण पत्र, - यदि लागू हो, तो नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार।

कृपया ध्यान दें कि जब तक फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं होंगे, तब तक सिस्टम अभ्यर्थी को आवेदन के अगले चरण में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।

<p>फोटो छवि: (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)</p> <ul style="list-style-type: none"> • फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन होना चाहिए। • सुनिश्चित करें कि चित्र रंगीन हो , तथा हल्के रंग , अधिमानतः सफेद, पृष्ठभूमि पर लिया गया हो। • शांत चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें • यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या खुद को छाया में रखें, ताकि आप आँखें सिकोड़ न रहे हों और कोई तीखी छाया न हो। • यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना ही है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "लाल-आंख" न हो • यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। • टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक हेडवियर की अनुमति है, लेकिन यह आपके चेहरे को नहीं ढकना चाहिए। • आयाम 200 x 230 पिक्सेल (अधिमान्य) • फ़ाइल का आकार 20kb-50 kb के बीच होना चाहिए • सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 kb से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे DPI रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को समायोजित करें। • अपलोड की गई फोटो उचित आकार की और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली होनी चाहिए। 	<p>फोटो कैप्चर</p> <ul style="list-style-type: none"> • उपरोक्त फोटो के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके अपना लाइव फोटो भी खींचकर अपलोड करना होगा। • "फोटो कैप्चर करें" विकल्प का चयन करने पर, अभ्यर्थियों का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा, जिससे वे अपना चित्र क्लिक कर सकेंगे, जो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगा। • "स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प का चयन करने पर, अभ्यर्थी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फोन पर फोटो खींच सकेंगे। खींची गई तस्वीर का चयन करने पर, फोटो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।
---	---

फोटो खींचने के लिए क्या करें और क्या न करें:

<p>क्या करें</p> <ul style="list-style-type: none"> • सुनिश्चित करें कि फोटो हल्के रंग, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो तथा पर्याप्त रोशनी हो। • वेबकैम/कैमरे की ओर सीधे देखें। • फोटो पासपोर्ट आकार का होना चाहिए। 	<p>क्या न करें</p> <ul style="list-style-type: none"> • छोटे आकार का फोटोग्राफ न क्लिक करें/न अपलोड करें। • रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए। • चेहरे पर छाया/ कैमरे का सामना न करना/ विकृत चेहरा/ मास्क से ढका हुआ चेहरा/ धुंधली छवि। • फोटो अंधेरे/अनुचित पृष्ठभूमि में नहीं लिया गया है।
---	---

<p>हस्ताक्षर</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करना होगा। ○ आयाम 140 x 60 पिक्सेल (अधिमान्य) ○ फ़ाइल का आकार 10kb – 20kb के बीच होना चाहिए ○ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक न हो ○ अपलोड किया गया हस्ताक्षर (बड़े अक्षरों में नहीं) उचित आकार का और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होना चाहिए। <p>बाएं अंगूठे का निशान:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। • फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg ○ आयाम: 200 DPI में 240 x 240 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) यानी 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई) ○ फ़ाइल का आकार: 20 KB – 50 KB 	<p>हस्तलिखित घोषणा चित्र:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा लिखनी होगी। ○ फ़ाइल प्रकार: जेपीजी/जेपीएजी ○ आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए अधिमानतः) यानी 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई) ○ फ़ाइल का आकार: 50 KB - 100 KB
---	---

नोट: यदि किसी अभ्यर्थी के पास बायां अंगूठा नहीं है, तो वह अपने दाएं अंगूठे का उपयोग कर सकता है। यदि दोनों अंगूठे गायब हैं, तो तर्जनी से शुरू करके बाएं हाथ की किसी एक उंगली का निशान लिया जाना चाहिए। यदि बाएं हाथ पर कोई उंगली नहीं है, तो तर्जनी से शुरू करके दाएं हाथ की किसी एक उंगली का निशान लिया जाना चाहिए। यदि कोई उंगली उपलब्ध नहीं है, तो बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां बाएं अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, अभ्यर्थी को अपलोड किए गए दस्तावेज़ में उंगली का नाम और बाएं/दाएं हाथ या पैर के अंगूठे का विवरण निर्दिष्ट करना चाहिए।

नोट: हाथ से लिखी गई घोषणा अभ्यर्थी की हस्तलिपि में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। पाठ बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा लिखा गया है और अपलोड किया गया है या किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (यदि अभ्यर्थी लिख नहीं सकते हैं, तो वे घोषणा के उस पाठ को टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (यदि हस्ताक्षर करने में भी सक्षम नहीं हैं) लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।)

हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है :

"मैं, _____ (अभ्यर्थी का नाम), एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करूँगा।"

पात्र अभ्यर्थियों के लिए धारा 11(x) में उल्लिखित प्रमाण पत्र:

- दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए।
- दस्तावेज़ का पृष्ठ आकार A4 होना चाहिए।
- फ़ाइल का आकार 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि दस्तावेज़ को स्कैन किया जा रहा है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सहेजा गया है और इसका आकार पीडीएफ के रूप में 500 KB से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 500KB से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे DPI रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को समायोजित करें। कृपया सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और पढ़ने योग्य हैं।

- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।
- यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा और प्रमाण पत्र, जैसा कि खंड 11 (x) में उल्लिखित है - यदि लागू हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही अपलोड किए गए हैं।

सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हों।

दस्तावेज़ों को स्कैन करना:

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- रंग को सही रंग पर सेट करें
- फ़ाइल का आकार ऊपर निर्दिष्ट अनुसार
- स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर अपलोड एडिटर का उपयोग करके छवि को अंतिम आकार में क्रॉप करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।
- छवि फ़ाइल JPG या JPEG प्रारूप में होनी चाहिए। एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg। फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर छवि आयामों की जाँच की जा सकती है।
- MS Windows/MsOffice का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी MS Paint या MsOffice Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐज' विकल्प का उपयोग करके .jpg / .jpeg प्रारूप में सहेजा जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा और खंड 11 (x) में उल्लिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे - यदि लागू हो,
- संबंधित लिंक "फोटोग्राफ अपलोड करें" / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें / हस्तलिखित घोषणा / प्रमाण पत्र जैसा कि खंड 11 (x) में उल्लिखित है - यदि लागू हो, पर क्लिक करें।
- उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन की गई तस्वीर / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा / प्रमाण पत्र जैसा कि खंड 11 (x) में उल्लेख किया गया है - यदि लागू हो, तो फ़ाइल सहेजी गई है।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें
- 'खोलें/अपलोड करें' बटन पर क्लिक करें
- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट / धुंधले होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा और प्रमाणपत्र (यदि लागू हो, तो खंड 11 (x) में उल्लिखित) अपलोड नहीं करते।

टिप्पणी:

- (1) यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या खंड 11 (x) में उल्लिखित हस्तलिखित घोषणा/प्रमाणपत्र - यदि लागू हो, अस्पष्ट/धुंधले हैं तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में खंड 11 (x) में उल्लिखित फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा / प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद - यदि लागू हो, तो अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि छवियाँ स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड किए गए हैं। यदि खंड 11 (x) में उल्लिखित फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा या प्रमाण पत्र - यदि लागू हो, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो अभ्यर्थी अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले खंड 11 (x) में उल्लिखित अपनी फोटो या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा या प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड कर सकते हैं।
- (3) अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया हो। यदि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- (5) यदि फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो परीक्षा में प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (6) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा धुंधला न हो।
- (7) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।
- (8) हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।
- (9) यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (10) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (11) सुनिश्चित करें कि खंड 11 (x) में उल्लिखित फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा और प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर ही अपलोड किए गए हैं।